

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

लोकतंत्र में आलोचना अपराध नहीं है

सरकारें सामान्यतया आलोचना को सहन नहीं कर पातीं और कई बार आलोचकों के विरुद्ध राष्ट्रदूह की कार्यवाही तक प्रारंभ कर देती हैं। पुलिस भी उनके इस काम में पूरी सहायता करती है। यह दुर्भाग्य ही है कि पुलिस, जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संविधान और कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा है, वह भी सत्ता धारी दल की इच्छानुसार काम करने के लिए तत्पर हो जाती है।

देश में समय-समय पर लेखक, साहित्यकार, कवि, व्यंगकार एवं अन्य सृजन कर्मी हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से शासन की कमियों को उजागर किया और जनता को जागृत करने का कार्य भी किया। जब अंग्रेजों का शासन था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्यकारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गत कुछ वर्षों से ऐसा लगता है कि विभिन्न सरकारों की, आलोचना के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है। समय-समय पर, विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिए जाने के बावजूद भी कि, भारतीय संविधान नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सरकारें ऐसे आलोचकों को प्रताड़ित करने में लगी रहती हैं। इसके दो उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। पहला, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं एआईसीसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी का है, जो सांसद होने के साथ-साथ अच्छे शायर भी हैं।

29 दिसंबर, 2024 को जामनगर, गुजरात में इमरान प्रतापगढ़ी, जामनगर नगर परिषद के सदस्य अलताफ गफ्फार भाई खाफी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो प्रष्ठभूमि में एक गीत बज रहा था जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे :—

“ए खुन के प्यासों बात सुनो,
गर हक की लड़ाई जुल्म से है
हम जुल्म से इश्क निभा देंगे
गर शम ए गरिया आतश है,
हर राह वो शमा जला देंगे।
गर लाश हमारी अपनों की,
खतरा है तुम्हारी मसन्द का,
उस रब की कसम, हम हसते, हंसते
उनकी लाशें दफना देंगे।

ए खुन के प्यासों बात सुनो.....”

इस गीत को इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने..... अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इसे समाज के विभिन्न वर्गों में फैलाने और आपस में भिड़ाने वाला ठहराते हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की धारा 196,197,299,300 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज करा दी गई। इस एफ आई आर को निरस्त करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर की, किंतु न्यायालय ने एफ आई आर निरस्त करने से इनकार कर दिया। इसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओका और न्यायाधीश उज्जल भुयान की खंडपीठ ने 28 मार्च, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार मानते हुए, इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर को निरस्त कर दिया। इस 64 पृष्ठों के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का गणतंत्र 75 सालों बाद इतना कमजोर नहीं है कि किसी कविता, लेख, व्यंग्य या स्टैंड अप कॉमेडी से उसे खतरा उत्पन्न हो जाय।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागरिक के विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अहम मानते हुए यह कहा कि उसकी रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका सहित सबका है। पुलिस को भी एफ आई आर दर्ज करने के पहले यह देखना चाहिए था कि शिकायत के आधार पर कोई अपराध बना भी है या नहीं? केवल शिकायत के आधार पर ही पुलिस को यह सोचना चाहिए था कि क्या इस कविता से राष्ट्र की एकता, अखंडता, संघप्रभुता पर कोई कोई खतरा है या नहीं? क्या इसके कारण भाषा, क्षेत्र, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया गया है? इसके विपरीत, इस कविता में तो शासक के अत्याचार का उत्तर, प्रेम से देने की बात कही गई है। शायद ने तो यहां तक कहा कि यदि जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण हमारे लोगों की जान भी चली जाय तो हम उन्हें दफना देंगे। ये कविता उस व्यवस्था के विरुद्ध है, जो जनता के खून की प्यासी है। यह किसी दल या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। पुलिस ने अपने दायित्व का निर्वहन सही तरह नहीं किया है। इसी आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी के विरुद्ध दर्ज एफ आई आर को निरस्त कर दिया और यह अपेक्षा भी की, कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति, सरकारें लोगों को इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण प्रकरण तब सामने आया जब प्रसिद्ध स्टैंडअप कॉमेडियन और राजनीतिक व्यंग्यकार कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित ‘द हैबिटेड स्टूडियो’ में जनवरी, 2025 को रिकॉर्ड किए गए अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी के कार्यक्रम को यूट्यूब पर

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लागेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को अपनी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई दे तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

में अपलोड किया गया। इससे उत्तेजित होकर शिंदे की शिवसेना के कई कार्यकर्ता राहुल कसल के नेतृत्व में होटल यूनी कांटीनेंटल पहुंच गए और बहुत तोड़ फोड़ की। महाराष्ट्र सरकार ने कामरा को माफी मांगने के लिए कहा लेकिन उसने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि वही कहा है जो दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहले ही कह चुके थे। शिवसैनिकों के कई नेताओं ने अपने लोगों का कामरा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए आह्वान कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि किसी के विचारों से कोई सहमत न हो, तो उसका प्रतिकार उसी प्रकार की कविता या लेख लिख कर किया जा सकता है या पुलिस में शिकायत करके कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में, कानून हाथ में लेकर तोड़ फोड़ करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। कामरा के प्रकरण में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कार्यवाही को ‘क्रिम’ की ‘प्रतिक्रिया’ बताकर उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया, उसे कानून हाथ में लेने के लिए उकसाना ही कहा जाएगा। लोकतंत्र में कानून का शासन होना चाहिए न कि गुंडागर्दी करने वालों का। इस घटना के बाद स्थानीय नगर परिषद ने भी बदले की कार्यवाही यूनि कांटीनेंटल होटल के निर्माण को अवैध बताते हुए उसे तोड़ दिया। यह उल्लेखनीय है कि जिस स्टूडियो में कामरा के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई, वह इस होटल में था।

जब तक किसी की गतिविधियाँ हिंसक न हों, राष्ट्र की एकता पर आघात न करे या फिर भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर कटुता तथा हिंसा न फैलाए, उसे प्रतिबंधित करना संविधान सम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए पहल करने ही होगी। जब कुणाल कामरा की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस बहुत उतावली दिख रही थी तो उसने चेन्नई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की, जिस पर उसी दिन सुनवाई करके उसे अग्रिम जमानत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 7 अप्रैल, 2025 तक रोक लगा दी।

इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि यदि समाज के अधिकांश लोगों को किसी के द्वारा लिखी या कही हुई कोई बात पसंद नहीं भी हो, तब भी उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। जिन परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता को न्यंत्रित किया जा सकता है, उसमें सरकार के विरुद्ध कोई बात कहना कतई सम्मिलित नहीं है।

देश संविधान और कानून से ही चल सकता है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि किसी की मानहानि हुई है या किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए पुलिस में जाकर रिपोर्ट की जा सकती है अथवा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न करके, केवल गुंडागर्दी के बल पर किसी को मारने की धमकी देना अथवा तोड़फोड़ करना अपराध है। यह समझना होगा कि सरकार की आलोचना करना, अपराध को श्रेणी में नहीं आता है, चाहे वह साहित्य की किसी भी विधा के माध्यम से हो। ऐसे प्रतिबंधित करना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट में हाल ही में स्पष्ट कहा कि “आलोचना, लोकतंत्र की आत्मा है”। प्रधानमंत्री के कथन का स्वागत किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार की बात कही जाने के बावजूद, महाराष्ट्र में उन्हीं के सहयोगियों द्वारा हिंसा की कार्रवाई करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। यदि किसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना ही है तो इस प्रकार तोड़फोड़ करने के वालों के विरुद्ध होना चाहिए न कि कुणाल कामरा जैसे स्टैंडअप कॉमेडियन और व्यंग्यकार के विरुद्ध। ऐसा करके उन्होंने परोक्ष रूप से कामरा को लाभ ही पहुंचाया है क्योंकि उनके यूट्यूब को इस पोस्ट की अब तक एक करोड़ लोग देख चुके हैं।

आशा की जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी वाले प्रकरण में दिए गए निर्णय की भावना को समझते हुए अनावश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो सिलसिला कई राज्यों में प्रारंभ हुआ है, उस पर रोक लागेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को अपनी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई दे तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

पुलिस को किसी प्रकार का कसम उठाने से पूर्व यह देखना होगा कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति का कथन समाज को तोड़ने वाला है या देश की अखंडता को खंडित करने वाला है?

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तपती टुपहरी में शीतल पानी की फुहार जैसा है। यह अपेक्षा की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना को समझते हुए देश के अन्य न्यायालय भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे एवं इसका विरोध हिंसा से करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में, विशेष कर लोकतंत्र में, इस प्रकार की हिंसक घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। लोगों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि सरकार या किसी जन प्रतिनिधि की आलोचना, अपराध नहीं है। जितना जल्द यह समझ में आ जाए उतना ही स्वयं उनके लिए, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा है।

—अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



महावीर सिंह

30 मार्च 1949 को गठित वर्तमान राजस्थान राज्य एक संवैधानिक राजनीतिक इकाई के रूप में, भारत गणराज्य राष्ट्र के एक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। भारत की राजनीतिक आजादी का जो संघर्ष 1857 की क्रांति के साथ शुरू हुआ और अनेक बधाओ-सडोंओं को सफलता पूर्वक पार करता हुआ 15 अगस्त 1947 को विदेशी दासता से मुक्ति के रूप में उसकी परंपणीत हुई। अभी सम्प्रभुता सम्पन्न गण राज्य बनने में कई ओर बाधाएं पार करनी थी। उनमें प्रमुख बाधा थी देशी रियासतों को मिला कर भारत गणराज्य की संवैधानिक इकाईयां बनाना।

किन्तु राजनीतिक इकाई बनाना अपने आप में पथान नहीं, यदि समाज में प्रेम, सौहार्द्र, भाईचारे का रिश्ता सकून दायक माहौल न हो। राजस्थान में अभी तक जो सामाजिक भाईचारे का माहौल हम देख रहे हैं, उसमें राजस्थान नामक राजनीतिक इकाई के गठन से कहीं बहुत ज्यादा, अविस्मरणीय योगदान यहां के संतशिरोमणी महिलाओं व पुरुषों का है। राजस्थान स्थापन सप्ताह के मनाए जाने के वक्त उनको याद न किया जाए, उन्हें कृतज्ञता के श्रद्धासुमन अर्पित न किये जाए तो समारोह अधूरा सा लगेगा।

इन लोगों द्वारा समाज सुधार की, कुरीतियों के त्याग की जो व्योति जलाई वह 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इनकी कहानियां, इनसे जुड़ी किंवदंतियां और इनके द्वारा रचित व गाये गए भजन राजस्थान के हर आंचल, गांव-गांव व शहरों में आम आदमी की जुबान में जीवित है। इस क्रम में कुछ सदैव स्मरणीय महिला,पुरुषों पर अति संक्षिप्त चर्चा करते हैं।

सबसे पहले अनन्य कृष्णभक्त,

कवियत्री मीरा बाई को स्मरण करते हैं। एक सम्पन्न,सामंत राजपूत परिवार में, 1498 के आसपास जन्मी मीराबाई के कृष्ण के भजन सारे उतर व पश्चिमी भारत में आज भी गए व सुने जाते हैं। मीरा बाई जा वालनपोषण उनके दादा मेडता के राव दूदा के घर में बड़े लाड चाव से हुआ। बचपन से ही उनका कृष्ण भक्तिमें मन रम गया। शादी मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में राणा सांगा के पुत्र राव भोजराज से हुआ। भोजराज की जल्दी मृत्यु ही गई। उसके बाद, मीरा बाई का स्थापित कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने राजपरिवार की ओर से दी गयी अनेक प्रवडांनओं, पीडाओं का सहजता से, श्री कृष्ण के सिसोदिया राजवंश में राणा सांगा के पुत्र राव भोजराज से हुआ। भोजराज की जल्दी मृत्यु ही गई। उसके बाद, मीरा बाई का स्थापित कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने राजपरिवार की ओर से दी गयी अनेक प्रवडांनओं, पीडाओं का सहजता से, श्री कृष्ण के स्मरण करते हुए सामना किया। वे प्रथा के अनुरूप सती नहीं हुईं। मन्दिरों में अधिक समय व्यतीत करने लगी और आमजन से घुलने-मिलने लगी। उन्होंने तत्समय अछूत समझी जाने वाली जाती के रैदास जी (रविदास) को गुरु अपनाया। अंत में राजमहल छोड़, कृष्ण से जुड़े स्थलों की यात्राएं करने लगीं। मीरा एक शांत सामाजिक करनी की वाहक क्रीम।

इसी क्रम में, 1017 के लगभग, नागौर जिले के कालवा गांव में, जीवन राम डूडी, जाट परिवार के घर जन्मी कर्मा बाई भी स्मरण में आती हैं। एक अत्यंत साधारण, किसान परिवार में जन्मी कर्मा बाई की कृष्ण भक्ति की ख्याति राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश से ओडिसा तक फैली है। वो मीरा बाई से भी पहले एक शांत सामाजिक समरसता की शुरुआत की जन्म दे चुकी थी। उनकी श्री कृष्ण को खिंचड़े का भोग लगाने वाली जो कहानी है वह लोक में शुद्ध हृदय से भाववर्धभक्ति का बेजोड़ उदाहरण है जसमें एक भोली लड़की अपने भावना को भोजन करवाने के लिए अपने धाबले (आज का पेटिकोट) का पर्दा करती है। उस जमाने में उस निर्भीक संत शिरोमणी महिला में जानातयुगी की यात्रा की, जहां उनका खिंचड़े का भोग तैयार करने की विधि लोकप्रिय हुई। यह तत्समय की महिलाओं को अपने स्वयं के विचार बताने व रखने का संदेश था व समाज को महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखने का संदेश था। जात पात कुछ नहीं, सब बराबर।

इसी क्रम में, 1017 के लगभग, नागौर जिले के कालवा गांव में, जीवन राम डूडी, जाट परिवार के घर जन्मी कर्मा बाई भी स्मरण में आती हैं। एक अत्यंत साधारण, किसान परिवार में जन्मी कर्मा बाई की कृष्ण भक्ति की ख्याति राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश से ओडिसा तक फैली है। वो मीरा बाई से भी पहले एक शांत सामाजिक समरसता की शुरुआत की जन्म दे चुकी थी। उनकी श्री कृष्ण को खिंचड़े का भोग लगाने वाली जो कहानी है वह लोक में शुद्ध हृदय से भाववर्धभक्ति का बेजोड़ उदाहरण है जसमें एक भोली लड़की अपने भावना को भोजन करवाने के लिए अपने धाबले (आज का पेटिकोट) का पर्दा करती है। उस जमाने में उस निर्भीक संत शिरोमणी महिला में जानातयुगी की यात्रा की, जहां उनका खिंचड़े का भोग तैयार करने की विधि लोकप्रिय हुई। यह तत्समय की महिलाओं को अपने स्वयं के विचार बताने व रखने का संदेश था व समाज को महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखने का संदेश था। जात पात कुछ नहीं, सब बराबर।

इसी क्रम में, 1017 के लगभग, नागौर जिले के कालवा गांव में, जीवन राम डूडी, जाट परिवार के घर जन्मी कर्मा बाई भी स्मरण में आती हैं। एक अत्यंत साधारण, किसान परिवार में जन्मी कर्मा बाई की कृष्ण भक्ति की ख्याति राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश से ओडिसा तक फैली है। वो मीरा बाई से भी पहले एक शांत सामाजिक समरसता की शुरुआत की जन्म दे चुकी थी। उनकी श्री कृष्ण को खिंचड़े का भोग लगाने वाली जो कहानी है वह लोक में शुद्ध हृदय से भाववर्धभक्ति का बेजोड़ उदाहरण है जसमें एक भोली लड़की अपने भावना को भोजन करवाने के लिए अपने धाबले (आज का पेटिकोट) का पर्दा करती है। उस जमाने में उस निर्भीक संत शिरोमणी महिला में जानातयुगी की यात्रा की, जहां उनका खिंचड़े का भोग तैयार करने की विधि लोकप्रिय हुई। यह तत्समय की महिलाओं को अपने स्वयं के विचार बताने व रखने का संदेश था व समाज को महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखने का संदेश था। जात पात कुछ नहीं, सब बराबर।

इसी क्रम में, 1017 के लगभग, नागौर जिले के कालवा गांव में, जीवन राम डूडी, जाट परिवार के घर जन्मी कर्मा बाई भी स्मरण में आती हैं। एक अत्यंत साधारण, किसान परिवार में जन्मी कर्मा बाई की कृष्ण भक्ति की ख्याति राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश से ओडिसा तक फैली है। वो मीरा बाई से भी पहले एक शांत सामाजिक समरसता की शुरुआत की जन्म दे चुकी थी। उनकी श्री कृष्ण को खिंचड़े का भोग लगाने वाली जो कहानी है वह लोक में शुद्ध हृदय से भाववर्धभक्ति का बेजोड़ उदाहरण है जसमें एक भोली लड़की अपने भावना को भोजन करवाने के लिए अपने धाबले (आज का पेटिकोट) का पर्दा करती है। उस जमाने में उस निर्भीक संत शिरोमणी महिला में जानातयुगी की यात्रा की, जहां उनका खिंचड़े का भोग तैयार करने की विधि लोकप्रिय हुई। यह तत्समय की महिलाओं को अपने स्वयं के विचार बताने व रखने का संदेश था व समाज को महिलाओं को बराबरी की दृष्टि से देखने का संदेश था। जात पात कुछ नहीं, सब बराबर।

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सव में जनसरोकारों का प्रतीक है किसान सम्मेलन का आयोजन



डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सवों का आयोजन इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश में राजस्थान दिवस पर इस तरह के बहु जनाह्विताया- बहु जनरसु खायो कार्यक्रमों को इसमें समाहित किया गया है। देखा जाए तो सप्ताह के कार्यक्रम महज औपचारिकता ना होकर के वर्ग विशेष या यों कहें कि दिन विशेष को लक्षित वर्ग को सीधे लाभान्वित करने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों यहां तक कि सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं का समावेश किया है जिससे विकास की गंगा बह सके। खास बात यह कि राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रमों का प्रदेश

के भिन्न-भिन्न स्थानों पर आयोजन और उसी अनुसार लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं, क्रियान्वयन व लाभार्थियों से सीधे संबाद कायम किया गया है। इससे यह तो साफ हो गया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जन सरोकार है और विकास की गंगा किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे कर समूचे प्रदेश तक विस्तारित हो सकी है।

राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सवों की कड़ी में बीकानेर में किसान सम्मेलन आयोजित कर लक्ष्यार्थी काश्तकारों तक सीधे अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है तो किसानों के हित की लाभकारी योजनाओं से काश्तकारों को जोड़ने के प्रयास किये गये। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में 30 हजार काश्तकारों को 137 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। इस अवसर पर किसानों के लिए पीएस समान निधि राशि में वृद्धि, सीएमए शर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश जारी की। इसके साथ ही सरकार ने गांवों में आपसी विवादों के कारण होने वाली मुकदमें बाजी को गंभीरता से लिया है और गैरसरकारी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे गांवों में जाकर काम करें और आपसी समझाईश से इस तरह के विवादों को समाप्त कराने के सार्थक प्रयास करें। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी

होती हैं जिन्हें आपसी समझाईश से आसानी से निपटारा जा सकता है।

वैसे भी सरकार किसानों के प्रति खास तौर समर्पित रही है। इस सरकार की बजट घोषणाओं में भी खेती किसानी पर खास ध्यान दिया गया है। किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शन के विषयुक्त भार को बढाने हेतु स्वीच्छक भार वृद्धि योजना लागू की गई। किसानों को 1.26 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ ही किसानों को बिजली के बिलों में 27,339 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। किसानों को राहत देने हेतु टावर क्षेत्र के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दुगुना तथा प्रसाधन लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के पेटे डीएलसी की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिये जाने के प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यक्रम में 17वीं, 18वीं एवं 19वीं किस्त हस्तात्तरित की जा चुकी है। उक्त 17वीं किस्त में लाभान्वितों की संख्या 65.30 लाख, 18वीं किस्त में 70.21 लाख एवं 19वीं के माध्यम से राज्य के 72.97 लाख किसानों को 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गयी है। किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से

राज्य का देश में पांचवा स्थान है। राज्य सरकार ने पी.एम. किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत 24.97 लाख नये कृषकों द्वारा आवेदन काबूल किये गये। पूर्व में आवेदित 25.83 लाख कृषकों के अनिवार्य कार्य पूर्ण कर आगामी किस्तों से लाभान्वित होने हेतु पात्र किये गए।

लघु, सीमांत, बटा दार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोर में लिया जाने वाला शुल्क माफ किया गया। नि:शुल्क संस्कर मक्का बीज मिनिफिक कार्यक्रम के तहत अनुसूचित/सहरीया क्षेत्र के 8.39 लाख जनजाति कृषकों को खरीफ, 2024 के अन्तर्गत मिनिफिक वितरण किया गये। नि:शुल्क हाईब्रिड सतंत्र बीज मिनिफिक वितरण कार्यक्रम के तहत लगभग 50,000 जनजाति कृषकों को मिनिफिक का वितरण किया गया। गेहूँ के समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपये का बोनस प्रदान कर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया। ‘राजस्थान कृषक समर्थन योजनान्तर्गत’ खाद्य विभाग द्वारा रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान न्यूनतम सीजन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक

10.03.2024 से 30.06.2024 तक पूर्ण कर 12.05 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 150.66 करोड़ रुपये बोनस राशि का भुगतान कर 94 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं होगी चाहिए कि खेती-किसानी सरकार की प्राथमिकता है और रहनी भी चाहिए। आज सारी दुनिया खेती किसानी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्योंकि खेती किसानी ने यह अहसास कर दिया है कि खेती किसानी ही ऐसे संकट के बेर में साथ दे सकती है। अनन्यता की मेहनत की बदौलत ही देश कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ रहा है और दलहन विकास और तिलहन विकास जैसे कार्यक्रमों पर बल देते हुए तिलहन-दलहन के क्षेत्र में नियात पर निर्भरता समाप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत कार्यक्रमों की सहानुता इस मायने में की जानी चाहिए कि सरकार ने अनन्यता और खेती किसानी को भी अपनी प्राथमिकता में रखा और सप्ताह का एक दिन किसान सम्मेलन को समर्पित किया।

—डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल मंगलवार 1 अप्रैल, 2025



पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, चतुर तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, भरणी नक्षत्र दिन 11:06 तक, विष्कुम्भ योग फ्रातः 9:43 तक, वणिज करण सायं 4:04 तक, चन्द्रमा आज सायं 4:30 से वृष राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।
आज रवियोग दिन 11:06 से आरम्भ होगा। अंगारक विनायक चतुर्थी है। शुक्ल योग, दग्ध योग रात्रि 2:32 से सूर्योदय तक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:27 से 10:59 तक, लाभ-अमृत 10:59 से 2:04 तक, शुभ 3:36 से 5:09 तक।
राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:40

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रति एवं आय में वृद्धि होगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

मिथुन
किण्वि/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकते हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला
तुला: परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

धनु
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
आर्थिक कारणों से अटकते हुए कार्य बनने लगेगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।